protective provisions in various other labour laws such as the Factories Act, 1948, the Mines Act, 1952 and Motor Transport (Workers) Act, 1961 etc. The approach of the Government is to implement all the child related provisions of the laws in a harmonious fashion.

Government is presently engaged in the task of elimination of child labour in hazardous occupations, which is estimated at 20 lakhs, by the year 2000 A.D. So far 76 child labour projects have been sanctioned to cover around 1.5 lakh children through special schools where they are provided non-formal education, vocational training, supplementary nutrition, health care and stipend etc. Apart from this, a massive awareness generation campaign has also been launched against the evil of child labour at national, regional and district levels. Funds for district level awareness campaigns have been released to 133 most child labour endemic districts in the country to sensitize people against the practice of child labour.

(b) to (d) Apart from rehabilitation of children working in hazardous occupations, fresh entry of children is sought to be prevented through convergence of services under different schemes like IRDP, JRY, IAY, EAS implemented by Ministries of Government of India and Departments of State Governments in child labour endemic districts with a view to providing economic sustainance for the parents of children taken out of work. With a view to securing convergence of such services, the National Authority for Elimination of Child Labour adopted a circular on "Identification, Release and Rehabilitation of Child Labour" which has been forwarded to all the State Governments for adoption.

### Pass Book Scheme

150. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the Pass Book Scheme under Duty Exemption Scheme of Import-Export Policy has been extended to Visakhapatnam Customs House;

(b) if not, whether there is any proposal to extend the scheme to Visakhapatnam; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) No, Sir.

(b) and (c) The Pass Book Scheme has been initiated only with effect from 1.4.1995 with limited coverage to assess its working.

There is no proposal at present to extend the scheme to Visakhapatnam Customs House.

### चीनी मिलों पर किसानों की बकाया राशि

151. **श्री राम जेठमलानी:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न राज्यों में स्थित चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादक किसानों के गन्ने की भारी मात्रा में बिक्री से संबंधित राशि बकाया थी;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1996 के अंत में 1995-96 चीनी पिराई वर्ष के लिए गन्ना उत्पादकों की कितनी राशि चीनी मिलों पर बकाया थी;

(ग) क्या यह राशि चीनी मिलों पर गत वर्षों में भी बकाया रही;

(घ) यदि हां, तो 1993, 1994 और 1995 के सितम्बर माह में कितनी-कितनी राशि गन्ने की बिक्री के संबंध में उत्पादकों को वसूल करनी थी;

(ङ) क्या इस बकाया राशि पर किसानों को ब्याज दिलवाने का प्रावधान सरकार ने किया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव):** (क) और (ख) देश में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा दी गई उपलब्ध सूचना के आधार पर कृषकों को दिनांक 30 अप्रैल, 1996 तक चीनी मौसम 1995-96 से संबंधित गन्ना मूल्य बकाया 1511.06 करोड़ रुपये था जो कि कुल देय गन्ना मूल्य के 21.3% के बराबर है।

(ग) और (घ) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर वर्ष 1995, 1994 तथा 1993 के दिनांक 30 अक्तूबर तक 1994-95, 1993-94 तथा 1992-93 मौसम से संबंधित गन्ना मूल्य का बकाया क्रमशः 185.09 करोड़ रुपये, 61.93 करोड़ रुपये तथा 76.98 करोड़ रुपये था।

(ङ) और (च) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 की धारा 3(3 ए) में गन्ने की आपूर्ति के भुगतान में 14 दिनों से अधिक का विलम्ब होने पर चीनी फैक्ट्री पर 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देयता का प्रावधान है। कृषकों के गन्ना मूल्य बकाया के भुगतान को लागू करवाने के लिए राज्य सरकार की संविधि एवं वैधानिक नियमों में प्रावधान है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 की धारा 17 की उप-धारा 5 में वे प्रावधान दिए गए हैं जो कृषकों को गन्ने के बकाया के भुगतान के उद्देश्य के लिए अलग से चीनी मिलों द्वारा उत्पादित या किये जाने वाले उत्पादन की सिक्योरिटी पर बैंक द्वारा दिये गये अग्रिम की प्रतिशतता को जोड़े जाने में समर्थ बनाता है। दोषी चीनी मिलों से कलेक्टर द्वारा गन्ना आयुक्त द्वारा जारी वसूली प्रमाण-पत्रों के आधार पर, गन्ना मूल्य बकाया की वसूली भू-राजस्व की ही तरह प्रभावी ढंग से करने का प्रावधान उक्त अधिनियम की धारा 17 में निहित है।

**Decision to Open up Indo-Pak Trade**

152. SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI VIRENDRA KATARIA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pakistan has decided to open up trade with India;

(b) if so, the details thereof and reaction of Government thereto; and

(c) the details of the total trade between India and Pakistan during the last three years, year-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) and (b) Government have not received any formal communication from Pakistan on its opening up of trade with India.

(c) Details of total trade between India and Pakistan during the last three years are indicated below:

(Value in Rs. crores)

| Year | Export to Pakistan | Import from Pakistan | Total Trade |
|---|---|---|---|
| 1993-94 | 200.96 | 136.65 | 337.61 |
| 1994-95 | 179.71 | 165.61 | 345.32 |
| 1995-96 | 256.80 | 150.80 | 407.60 |

(Source: DGCI&S)

**राष्ट्रीय मजदूरी नीति**

153. **श्री नागमणि:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में श्रमिकों के कल्याण और लाभ के लिए एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम):** (क) सरकार के समक्ष एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संगठित क्षेत्र में मजदूरी का निर्धारण सौदेकारिता और समझौते के माध्यम से किया जाता है। जहां आवश्यक होता है, सरकार कतिपय क्षेत्रों में मजदूरी के निर्धारण और संशोधन के लिए मजदूरी बोर्डों का भी गठन करती है। असंगठित क्षेत्रों में, मजदूरी का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन, राज्य और केन्द्रीय सरकार दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में आने वाले अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण करने/उनमें संशोधन करने के लिए समुचित सरकारें हैं। अधिनियम में मजदूरी की न्यूनतम दरों का आवधिक संशोधन करने की व्यवस्था की गई है।

**पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना आपूर्ति बांड प्रक्रिया (सुगरकेन सप्लाई बांड प्रासीजर) में ढीलढाल**

154. **श्री सोमपाल:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: